

राज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सेटू ५/३ बनाम अमरचंद

1225

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

2022/231

अक्ति 3 दावे-38

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

पेशी

श्री रघुनाथ सिंह

श्री निहालनाथ डिपडा 1 नं 13, 4A 14

16/10/23

सेटू बनाम अमरचंद (2022/236)
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 13 उपस्थित।
अभिभाषक अपीलांत ने दिनांक 24.08.2023 से आज दिनांक तक रेस्पोंडेन्ट संख्या
15, 16, 22, 31 से 36 48, 56, 59 की तलबी जरिये अखबार साया हेतु बार बार अवसर
प्रदान करने के बावजूद भी अखबार साया सम्मन/नोटिस तलबाना प्रस्तुत नहीं किये
हैं तथा दिनांक 24.08.2023 से रेस्पोंडेन्ट संख्या 37, 39, एवं 60 की कायम मुकाम
कार्यवाही नहीं की है, जाप्ता दीवानी के आदेश 09 नियम 5 के प्रावधानों अनुसार
न्यायालय के आदेश के तहत रेस्पोंडेन्ट संख्या 15, 16, 22, 31 से 36 48, 56, 59
की तलबी हेतु अखबार साया सम्मन/नोटिस पेश नहीं कर तथा रेस्पोंडेन्टस संख्या
37, 39, 60 की कायम मुकाम कार्यवाही नहीं कर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं
की है।

अतः अपील अपीलांत आदेश 09 नियम 5 जाप्ता दीवानी (अपील अदम तकमील
में) के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निहालनाथ डिपडा



142 न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नाथ सिंह अपील टी0ए0 संख्या 36/2022 जिला अजमेर

2022/236

गोपीलाल पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी बालाजी/चोटिया की ढाणी ग्राम करकेडी

हरिया तहसील रुपनगढ जिला अजमेर हाल निवासी गेस एजेन्सी के सामने भूरी डुगरी

रुपनगढ जिला अजमेर ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

-- अपीलांत

29/8/22

बनाम्

1. अमरचन्द पुत्र हरकरण
2. गोपीलाल पुत्र किशना
3. देवाराम पुत्र किशना
4. पीथाराम पुत्र किशना
5. मांगीलाल पुत्र किशना
6. चौथूराम पुत्र भंवरा
7. प्रेमराम पुत्र हरकरण
8. भैरुराम पुत्र भंवरा
9. भीवाराम पुत्र भंवरा
10. मंगलाराम पुत्र भंवरा
11. मदनलाल पुत्र भंवरा
12. मेहराम पुत्र भंवरा
13. राकेश पुत्र नोरतराम

जाति माली निवासी टेल्या का बेरा ग्राम करकेडी तहसील रुपनगढ जिला अजमेर।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रुपनगढ जिला अजमेर।

----- असल रेस्पोंडेन्ट

15. गोपाल पुत्र उगमा

16. मोतीराम पुत्र उगमा

17. जीवराम दत्तक पुत्र पूसा

18. नाथूलाल पुत्र हरजी
19. नानू पुत्र मगना
20. परमेश्वर पुत्र हरिराम
21. पाबू पुत्र जयराम
22. श्रवण पुत्र जयराम
23. श्योराम पुत्र जगन्नाथ
24. प्रभू पुत्र सूरजकरण
25. मांगीलाल पुत्र सूरजकरण
26. गोपी पुत्र सूरजकरण
27. लादू पुत्र भीया
28. रतना पुत्र भीया
29. भागचन्द पुत्र भीया
30. हरदीन पुत्र भीया
31. कमला पुत्री मगना
32. ग्यारसी पुत्री मगना
33. बिरजी देवी पत्नि उगमा
34. कान्ता पुत्री उगमा
35. लाली देवी पुत्री उगमा
36. शान्ति देवी पुत्री उमगा
37. हीरा पत्नि जयराम (कीर्ति)
- समस्त जाति जाट निवासी बालाजी/चोटिया की ढाणी ग्राम करकेडी तहसील
रुपनगढ जिला अजमेर
38. श्री श्री जी महाराज वाके सलेमाबाद जिला अजमेर
39. ओमप्रकाश पुत्र भंवरा जाति जाट (कीर्ति)
40. कानी देवी पत्नि हरदेव जाति जाट
41. चेनाराम पुत्र रुघनाथ जाति जाट
42. छग्गुडी देवी पत्नि रुघनाथ जाति जाट
43. जवानाराम पुत्र बीजा जाति जाट
44. जीवणराम पुत्र सूजा जाति जाट
45. देवकरण पुत्र बीजा जाति जाट
46. नानूराम पुत्र सूजा जाति जाट
47. बीरू पुत्र पूसा जाति जाट
48. मनोहर पुत्र रुघनाथ जाति जाट

49. मोनिका देवी हरदेव जाति जाट
 50. रामचन्द्र पुत्र पूसा जाति जाट
 51. रामेश्वरी पुत्री पूसा जाति जाट
 52. लालचन्द पुत्र सूवा जाति जाट
 53. लीला देवी पुत्री रुघनाथ नाबालिक जरिय माता छगडी देवी पत्नि रुघनाथ
 54. श्योनाथ पुत्र सूजा जाति जाट
 55. श्रवण पुत्र पूसा जाति जाट
 56. सन्तु देवी पुत्र हरदेव जाति जाट
 57. समराराम पुत्र छीतर जाति जाट
 58. सोदान पुत्र बीजा जाति जाट
 59. हेमा देवी पुत्री हरदेव जाति जाट
 60. हरजी पुत्र पुसा जाति जाट (फौज)
 61. हरनाथ पुत्र पुसा जाति जाट
- समस्त जाति जाट निवासी बेडा की ढाणी ग्राम करकेडी तहसील रुपनगढ
 जिला अजमेर

--तरतीबी रेस्पोंडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 225 सपठित राजस्थान काश्तकारी
 अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी
 महोदय रुपनगढ दिनांक 28.7.2022 अन्तर्गत प्रकरण संख्या
 15/2021 बउनवानी अमरचन्द बनाम गोपाल

श्रीमान्जी,

अपीलांत अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवेदन करते हैं:-

यह कि असल रेस्पोंडेन्टस् संख्या 1-13 ने विद्वान उपखण्ड
 अधिकारी महोदय, रुपनगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध अपीलांत व तरतीबी
 रेस्पोंड प्रस्तुत कर निवेदन किया किया प्रार्थीगण/असल रेस्पोंड की